न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत – शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 140/2017

1. सुनील कुमार पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी चिड़ावा तहसील व जिला झुंझनू।
2. सुरेश मालानी पुत्र ताराचन्द मालानी जाति महाजन निवासी चिड़ावा तहसील व जिला झुंझनू।

– वादीगण–

बनाम

1/1 मोहननाथ पुत्र शान्ति पत्नि पीलनाथ
1/2 भंवरी पुत्री शान्ति पत्नि पीलनाथ
1/3 गणेशनाथ पुत्र शान्ति पत्नि पीलनाथ
2. मोहननाथ
3 गणेशनाथ पि0 पीलनाथ जाति नाथ
4/1 लिछमा पत्नि रेवन्तनाथ पुत्र भागूनाथ
4/2 जगदीश नाथ
4/3 महावीर नाथ
4/4 हरूनाथ
4/5 परमादेवी
4/6 रिमादेवी पि0 रेवन्तनाथ पुत्र भागूनाथ जाति नाथ निवासीगण जोगियासन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणात्मक, चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,188 आर. टी. एक्ट एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

उपस्थित –

1. श्री भानुप्रताप शर्मा, एडवोकेट वादीगण की ओर से।
2. श्री मेजरसिंह गिल, एडवोकेट प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

–:संशोधित निर्णयः–

दिनांक :– 31.05.2019

पत्रावली वादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सीपीसी दिनांक 20.5.2019 पालना में पेशी में ली गई वादीगण ने निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी दावा के निर्णय डिक्री दिनांक 21.01.2019 में भूलवंश खसरा न. 16 तादादी 1.67 हैक्टयर भूमि वादीगण के दर्ज करने का निर्णय पारित किया हैं जबकि खसरा न. 16 गैर मु. सडक रक्वा है तथा सरा न. 15 तादादी 10.62 हैक्टयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित किया जबकि खसरा न. 15 तादादी 10.62 हैक्टयर में से 5.24 हैक्टयर पासा पश्चिम दिशा की गण के कब्जे काश्त की व खसरा नं. 15 की शेष 5.38 हैक्टेयर पासा पूर्व दिशा की वादीगण के कब्जे एवं पुरानी तरमीम की है। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री में संशोधन ने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रतिवादी ने किसी प्रकार की आपति नहीं होना हिर कर निवेदन किया कि निर्णय में संशोधन किया जाना उचित है। हमने पत्रावली का लोकन करने के उपरान्त यह सबित हुआ कि वादीगण द्वारा अनुतोष में खसरा नं. 16 स किसी प्रकार की मांग नहीं की है। खसरा नं. 16 वादीगण तथा प्रतिवादगण के नाम नहीं है सड़क के नाम दर्ज है। इसलिए वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चित है। इसलिए वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर संशोधित घोषणात्मक डिक्री बहक दीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस विनाय की जारी की जाती है कि वादगत खातेदारी कृषि मे मौजा रोही उच्छरंगदेसर के पुराने खसरा नं0 8/1 तादादी 63.05 बीघा के नये खसरा 0 13 में 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 14 में 1.01 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 15 में 10.62 हैक्टेयर, खसरा नं0 17 में 1.90 हैक्टेयर, खसरा नं0 18 में 1.82 हैक्टेयर बने, वादीगण के नाम से खसरा नं0 8/1/196 तादादी 42 बीघा जो पूर्व में नक्शे में तरमीम थी उस तरमीम को थावत रखा जावे एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विधि विरूद्व प्रतिवादीगण के नाम से नक्शे में र्शायी गई तरमीम को निरस्त किया जावे तथा नये खसरा नं0 13 की भूमि 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं. 14 की 1.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 17 की 1.90 हैक्टेयर, खसरा नं. 18 की 1.82 हैक्टेयर व खसरा नं.15 की तादादी 10.62 हैक्टेयर में से 5.24 हैक्टेयर भूमि पासा पश्चिम दिशा की कुल तादादी 10.62 हैक्टेयर भूमि को वादीगण के नाम से व खसरा नं. 15 की शेष 5.38 हैक्टेयर भूमि पासा पूर्व दिशा की प्रतिवादीगण के नाम नक्शे में फिट कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की घोषणा की जाती है। संशोधित पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner